न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 80/2018

1. घनश्याम पुत्र गोरधन जाति बैरवा निवासी मान्यापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. राधेश्याम
2. मुरारी
3. सुनील
4. चन्द्र प्रकाश पिसरान गोरधन
5. केसर देवी बेवा गोरधन
6. राजू लाल पुत्र घुडया
7. धोडी पुत्री घुडया
8. भौती बेवा घुडया
9. बाबू पुत्र घुडया समस्त जातियान बैरवा निवासीयान मान्यापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली ।
10. तहसीलदार तहसील सपोटरा, जिला करौली।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा मु0न0 67/2012 निर्णय व डिकी दिनांक 26.04.2018)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री श्याम मोहन शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

निर्णय दिनांक 15.12.2020

1. अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के मु0न0 67/2012 निर्णय डिकी दिनांक 26.04.2018 के विरूद्ध पेश की गयी है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी ने दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 268 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 319 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, कुल 3 किता रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम बलुआपुरा तहसील सपोटरा जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता0 5 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसी अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का आज तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वैधानिक तकास्मा भी नहीं हुआ है, जिससे आये दिन सीमाज्ञान कराने के समय एवं फसल की मेडबंदी को लेकर विवाद पैदा होते रहते है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ता0 5 परिवार में थोकबंद व्यक्ति है एवं लट्ठ के जोर से वादी की ... को बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.12.23 16:35:20 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

किसी अधिकार के अतिक्रमण करने के उददेश्य से वादी को नुकसान पहुँचाने की फिराक में रहते है। इसलिए वादीगण ने वाद पत्र पेश कर विवादित आराजीयात का मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं मुताबिक कब्जा काश्त बंटवारा कर नक्शा ट्रेस सीट में भी अलग–अलग इन्द्राज किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने बाबत वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई थी कि उक्त आराजीयात को हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड बटवारा किया जाकर तथा लगान व खाता अलग किया जावे। प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत ना तो स्वयं करे ना ही अन्य दीगर व्यक्ति से करावे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री रूहेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यों से परे होने से निरस्तनीय है। अपीलधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की कोई तुलना नहीं की जाकर पत्रावली में बनी तनकीयात अनुसार उक्त निर्णय पारित किया गया है। इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि तनकी नम्बर 1 वादी/रेस्पो0 के पक्ष में आंशिक रूप से डिक्री की है तथा तनकी नम्बर 2 वादी/रेस्पो0 के विपरीत निर्णित की है तथा तनकी नम्बर 3 अन्य वादपत्र बावत बनायी गयी है। यह तनकी प्रतिवादीगण/अपीलांट के खिलाफ तय की है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात वादी घसीडा की मुत्यु हो जाने के कारण दिनांक 12.01.17 को दरखास्त ऑर्डर 22 रूल 3 सीपीसी सपठित 151 सीपीसी खिलाफ तनकी है क्योंकि घसीडा की वास्तविक पत्नी केसर थी तथा घसीडा के कोई औलाद नहीं थी, प्रतिवादी/अपीलांट राजू बैग0 ने साज कर घसीडा का पुत्र बताकर उक्त वादपत्र का गलत रूप से निर्णित कराया क्योकि घसीडा ना औलाद फौत हुआ, इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि निर्वाचन नामावली पंचायत समिति सर्किल, टोडरा के कमांक 378 पर घसीडा की पत्नी का नाम केसर दर्ज है जबकि वादपत्र में घसीडा की पत्नी का नाम भौती दर्शाया है जबकि भौती घुडथा की पत्नी रही है। भारत [illegible] द्वारा भामाशाह कार्ड में भी अंकन है। वादपत्र का निर्णय दिनांक 26.04.2018 को [illegible] लोक

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.12.23 16:35:20 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

अदालत अभियान के तहत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में किया गया तथा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस बगैरहा जारी नहीं किया इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत तथा तहत न्यायालय द्वारा उपरोक्त पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। पॉच्या के तीन पुत्र घसीडा, घूडया व गोरधन थे। घसीडा के एकमात्र पत्नी केसर देवी थी, कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे तथा घुडया के पत्नी भौती देवी व उसके दो पुत्र बाबू व राजू रहे है तथा गोरधन के एक पत्नी केसर तथा पुत्र एक अपीलांट एवं रेस्पो0 नं0 01 लगायत 04 है, तहत न्यायालय ने बिना किसी जॉच के बिना मौका रिपोर्ट लिये उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में तर्क प्रस्तुत करते हुए, बताया कि आराजी खसरा नम्बर 268 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 319 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, कुल 3 किता रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम बलुआपुरा तहसील सपोटरा जो कि रेस्पो0 एवं अपीलांट की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसमें रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी/अपीलांट का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसी अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का आज तक रेस्पो0 एवं अपीलांट के मध्य वैधानिक तकास्मा भी नहीं हुआ है, जिससे आये दिन सीमाज्ञान कराने के समय एवं फसल की मेडबंदी को लेकर विवाद पैदा होते रहते है क्योंकि अपीलांट परिवार में थोकबंद व्यक्ति है एवं लट्ठ के जोर से रेस्पो0 की भूमि को बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण करने के उद्देश्य से रेस्पो0 को नुकसान पहुॅचाने की फिराक में रहते है। इसलिए रेस्पो0/वादी ने वाद पत्र पेश कर विवादित आराजीयात का मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं मुताबिक कब्जा काश्त बंटवारा कर नक्शा ट्रेस सीट में भी अलग-अलग इन्द्राज किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने बाबत वादपत्र पेश कर दरस्तदुआ चाही गई थी कि उक्त आराजीयात को हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड बटवारा किया जाकर तथा लगान व खाता अलग किया जावे। अपीलांट ने अपील गलत व अवैध रूप से पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री वैध रूप से हुयी है। निर्णय व डिक्री में कोई गलती नहीं हुयी है। अदालत मातहत का निर्णय पूर्ण विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5. अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तहत [illegible] की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपील [illegible] में कथन किया [illegible] घसीडा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.12.23 16:35:20 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

कोई औलाद नहीं थी। घसीडा की मृत्यु होने पर अधिनस्थ न्यायालय में वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के पेश किया है। इस प्रार्थना पत्र में मृतक घसीडा के वारिसान राजू, भौती व धोडी को बताया गया है, दिनांक 12.01.2017 को तहत न्यायालय की आदेशिका में अभिलिखित किया है कि "प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0 दी0 एवं धारा 151 जा0 दी0 का जवाब वकील प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते है एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से कोई एतराज नहीं है।" इस प्रकार अपी0/प्रति0 के विद्वान वकील द्वारा बहस करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। मृतक घसीडा के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है। प्रार्थना पत्र का निस्तारण अपी0/प्रति0 के अभिभाषक को पूर्ण अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिपूर्वक किया गया है। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके ग्राम वलुआपुरा के खातौनी संख्या 45 खसरा नम्बर 268, 269, 319 राजूलाल पुत्र घसीडा, धोडी पुत्री घसीडा, भौती पत्नी स्व0 घसीडा हिस्सा 1/2 घनश्याम, राधेश्याम, मुरारी, सुनील, चन्द्रप्रकाश पिसरान गोरधन केशरदेवी पत्नी स्व0 गोरधन हिस्सा 1/2 कौम बैरवा सा0 देह खातेदार मजरा मान्यापुरा राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सपोटरा अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निर्णय तनकीवार विश्लेषण कर विधिपूर्वक किया गया है। इस निणर्य में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, सपोटरा के मु0नं0 67/2012 निर्णय दिनांक 26.04.2018 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.12.20

(बी एल रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.12.23 16:35:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner